



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं० पटना 726) पटना, शुक्रवार, 3 जुलाई 2026

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

2 जून 2026

सं० वि.प.वि.-25/2024-654 (3) वि.प.— बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा जन स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित गंभीर विषय को बार-बार प्रश्न एवं अन्य माध्यम से सदन में उठाये जाते हैं, जिसका समाधान समयाभाव के कारण नहीं हो पाता है। कतिपय स्वास्थ्य विषयक प्रश्न एवं अन्य गंभीर विषय के सम्यक समाधान तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन सुविधा के उन्नयन एवं विकास के उद्देश्य से बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-65 के तहत माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् ने “जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा समिति” का गठन करते हुए समिति के विचारणीय विषय बिन्दु निर्धारित करने की कृपा की है, जो निम्नवत है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रो० (डॉ०) राजवर्धन आजाद, स०वि०प० - | अध्यक्ष |
| 2. डॉ० संजीव कुमार सिंह, स०वि०प० - | सदस्य |
| 3. श्री राजीव कुमार, स०वि०प० - | सदस्य |
| 4. श्री देवेश कुमार, स०वि०प० - | सदस्य |
| 5. श्री अशोक कुमार पान्डेय, स०वि०प० - | सदस्य |
| 6. श्रीमती शशि यादव, स०वि०प० - | सदस्य |

विचारणीय विषय बिन्दु

1. माननीय सभापति महोदय द्वारा सौंपे गए सदन में बार-बार उठने वाले जन सरोकार से संबंधित स्वास्थ्य विषयक कतिपय गंभीर प्रश्नों के समाधान हेतु उसकी समीक्षा करना एवं निर्धारित समय में सदन में प्रतिवेदन उपस्थापित करना ।
2. राज्य प्रायोजित जनोपयोगी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करना एवं सुझाव देना ।
3. संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु जन कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा करना ।
4. कुपोषण की रोकथाम के योजनाओं की समीक्षा एवं सुझाव देना ।
5. राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जन सरोकार से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा एवं सुझाव देना ।
6. समय-समय पर माननीय सभापति महोदय द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों की जांच करना एवं सदन में प्रतिवेदन उपस्थापित करना ।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से।

शंकर कुमार,
प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 726-571+50-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>